# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2018/00568

1. पीरू लाल आत्मज हीरालाल आयु 52 वर्ष ।
2. उमा शंकर आत्मज मोहन लाल आयु 42 वर्ष जाति मेघवाल निवासीगण गांवडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. गोरधनी पत्नी भैरू जाति मेघवाल निवासी सरकारी स्कूल के पास, सूरसागर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नेमी चन्द वर्मा आत्मज हीरालाल जाति रेगर निवासी मकान संख्या 202, राजीव गॉधी नगर, कोटा ।
3. माधो लाल आत्मज मोडूलाल आयु 95 वर्ष ।
4. हीरालाल आत्मज मोडूलाल आयु 85 वर्ष ।
5. मोहनलाल आत्मज मोधलाल आयु 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासीगण गॉवडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री देवानन्द, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 18.06.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम गांवडी तहसील लाडपुरा में पुराने खसरा नम्बर 180 की 90 बीघा 10 बिस्वा भूमि सिलिंग अवाप्त भूमि सिवायचक दर्ज चली आ रही थी । उक्त भूमि में से 07 बीघा भूमि गोबरी लाल आत्मज रामकिशन जी मेघवाल को दिनांक 30.05.1979 को आवंटन की गई

थी । गोबरी लाल की पत्नी गोरधनी बाई गोबरी लाल के जीवनकाल में ही उसको छोडकर अन्यत्र चली गयी । गोबरी लाल की वादीगण ने ही सेवा सुश्रूषा की । उक्त भूमि पर गोबरीलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था किन्तु गोबरी लाल की दिनांक 07.04.1980 को लाऔलाद मृत्यु हो गयी । गोबरी लाल की मृत्यु के बाद वादीगण के पूर्वज प्रतिवादी कम 3, 4 व 5 माधोलाल व हीरालाल, मोहन लाल उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । गोबरी लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसकी पत्नी गोरधनी बाई बेवा गोबरी लाल के नाम जरिये इंतकाल दर्ज हो गई, जबकि वह गोबरी लाल को छोडकर अन्यत्र नाते चली गयी और गोरधन लाल को छोडने के बाद गोरधनी बाई ने भैरूलाल से नाता विवाह कर दिया जिससे उसके एक लडका चन्द्र प्रकाश व पुत्री रेखा है । भैरूलाल की भी मृत्यु हो चुकी है । इस प्रकार प्रतिवादिनी कम 01 का गोबरी लाल व उसकी जायदाद व भूमि से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा तथा उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला रहा है । इसके बाद केचमेंट विभाग ने केचमेंट कार्य कर दिया व उसके बाद सेटलमेंट कार्य कर दिया और उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर कायम कर दिये । प्रतिवादी कम 01 को उक्त भूमि के बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था । इसके बावजूद भी प्रतिवादी कम 02 से मिली भगत करते हुए बिना कब्जे के प्रतिवादी कम 02 को उक्त भूमि का बेचान दिनांक 04.05.2017 को कर दिया । उक्त भूमि पर वादीगण का पिछले 37–38 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु फर्जी व अवैध विक्रय पत्र की आड में प्रतिवादी कम 02 राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने व वादीगण को भूमि से बेदखल करने व कब्जे में व्यवधान पैदा करने व भूमि को रहन–बेचान करने पर आमादा है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त तथाकथित विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते से विलोपित की जावे । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि स्व0 गोबरीलाल की पत्नी गोरधनी बाई जीवित है तथा स्व0 गोबरी लाल जी की आराजी उनके स्वर्गवास के उपरान्त गोरधनी बाई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई । गोरधनी बाई ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2017 को प्रतिवादी कम 02 को बेचान कर कब्जा संभला दिया और उक्त विक्रय के आधार पर उक्त भूमि प्रतिवादी कम 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है और प्रतिवादी कम 02 ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के निरस्तीकरण का दावा किये बिना उक्त आराजी पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त हुए बिना उक्त वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । वादीगण को उक्त वाद पेश करने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2018 के द्वारा प्रतिवादी कम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसमें विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने की घोषणा के बाबत् कोई उल्लेख नहीं है बल्कि फर्जी रूप से रेस्पोडेन्ट कम 01 ने मृतक गोबरी लाल की पत्नी बन कर भूमि विक्रय की है जो प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है । वादीगण मृतक गोबरी लाल के वारिसान है और उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है । गोबरी लाल की मृत्यु 1980 में ही हो गयी । तथाकथित विक्रय पत्र में रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपने आपको जीवित गोबरी लाल की पत्नी दर्ज किया है । नाम के साथ स्वर्गीय अथवा बेवा अथवा विधवा दर्ज नहीं किया गया है तथा जो आधार कार्ड बाद में बनवाया है वह भूमि हडपने की नियत से गोबरी लाल की पत्नी बन कर बनवाया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 गोरधनी बाई बेवा गोबरीलाल की हैसियत से नहीं थी बल्कि गोरधनी बाई बेवा भैरूलाल की हैसियत से जिन्दगी जी रही थी । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट कम 01 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और यह कथन किया था कि पुराने खसरा नम्बर 180 की रकबा 90 बीघा 10 बिस्वा आराजी सीलिंग से अवाप्त की जाकर सरकारी सिवायचक दर्ज चाही आ रही थी जिसमें से 07 बीघा आराजी गोबरी लाल को दिनांक 30.05.1979 को आवंटित हुई थी जो कि उनकी गैर खातेदारी में चली आ रही थी । गोबरी लाल की पत्नी गोरधनी बाई गोबरी लाल के जीवनकाल में ही उसको छोडकर चली गई थी । वादीगण ने गोबरी लाल की सेवा की है और वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादी कम 01 ने गलत रूप से यह आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है । उसने भैरूलाल से नाता किया है उसका गोबरी लाल की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । केचमेंट और सेटलमेंट के उपरान्त वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 618 रकबा 0.90 हैक्टर और 763 रकबा 0.16 हैक्टर दर्ज किये गये हैं । वादग्रस्त आराजी के षडयंत्रपूर्वक विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है जबकि कब्जा 37–38 वर्षों से वादीगण का है । प्रतिवादी कम 02 ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको स्वीकार करते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 01 गोरधनी बाई के खाते में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार लगी है और उसने

विधि सम्मत रूप से वादग्रस्त आराजी का विक्रय किया है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.05.2017 को प्रतिवादी क्रम 02 को विक्रय कर कब्जा संभलाया जा चुका है । जब तक विक्रय पत्र को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है । वादीगण ने फौती इंतकाल को चैलेंज नहीं किया है । वादीगण को दावा पेश करने के लिए कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के लिए हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि गोबरी लाल दिनांक 07.04.1980 को लाऔलाद फौत हुए थे और अपीलान्ट वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी थे क्योंकि गोरधनी बाई गोबरी लाल के जीवनकाल में ही नाते चली गई थी । गोरधनीबाई का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा है । इस दावे में प्रतिवादी क्रम 02 के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने खारिज किया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में दावे को खारिज करते समय केवल दावे में अंकित तथ्यों पर ही विचार किया जा सकता है न कि प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाब में अथवा प्रार्थना पत्र में कहे गये तथ्यों के आधार पर। हम इस प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/6/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा